In the court of Sanjeev kumar-II, ASJ-I
-cum- Special Judge, SC/ST(P.O.A.) Act, Madhepura
GR No 1523/2010 State vrs. Mahendra yadav

FORM A

न्यायालयः– प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष–सह–विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मधेपुरा।

उपस्थित : (संजीव कुमार–II)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश, मधेपुरा

GR No NO.-1523/2010
C.I.S.No.-67/2013
कुमारखंड थाना कांड संख्या–143/2010
(निर्णय की तिथिः–23.06.2026)

सूचक	राज्य द्वारा सूचिका **सबिता कुमारी पे0** सुरेश ऋषिदेव, सा0 सुखासन, थाना–कुमारखंड एवं जिला मधेपुरा
अभियोजन की ओर से	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद यादव, विद्वान विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	**बनाम** 1,. महेन्द्र यादव, पिता स्व0 मुसहरू यादव, उम्र 60 वर्ष सा0 सुखासन, थाना–कुमारखंड एवं जिला मधेपुरा
बचाव पक्ष की ओर से	श्री ....., विद्वान अधिवक्ता

FORM B

अपराध की तिथि–	दिनांक–21.09.2010
प्राथमिकी की तिथि–	दिनांक–23.09.2010
अन्तिम प्रपत्र की तिथि–	दिनांक–31.12.2010
अपराध का संज्ञान की तिथि–	दिनांक–10.01.2011
आरोप गठन की तिथि–	दिनांक 26.05.2011
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	दिनांक–12.02.2013
निर्णय पर प्रस्तुत होने की तिथि–	दिनांक–23.06.2026
निर्णय की तिथि–	दिनांक–23.06.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/ आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर छोड़ने की तिथि	आरोपित धारा	प्रकृति दोषसिद्ध या दोषमुक्त	**सजा**
1.महेन्द्र यादव	24-12-10	22-04-24	**u/s- 341, 354 I.P.C & 3(i)(xi) SC/ST Act**	**अपर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।**	

अभियोजन साक्ष्य

क्रम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति ( )

In the court of Sanjeev kumar-II, ASJ-I
-cum- Special Judge, SC/ST(P.O.A.) Act, Madhepura
GR No 1523/2010 State vrs. Mahendra yadav

PW-1	पूरनी देवी	अभियोजन साक्षी (तथ्य पर)
PW-2	बबीता कुमारी	अभियोजन साक्षी (तथ्य पर)
PW-3	रेणू देवी	अभियोजन साक्षी (पक्षद्रोही)
PW-4	सावित्री कुमारी	अभियोजन साक्षी (पक्षद्रोही)

बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य

Sr. No,	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
--------		बचाव साक्षी(.....)

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा कराये गये प्रदर्श का विवरण

अभियोजन

Sr. No,	Exhibit Number	Description
	-------	----------

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त **महेन्द्र यादव** के विरूद्व धारा **341, 354 I.P.C & 3(i) (xi) SC/ST (POA) Act** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप गठित करके उसके सार को हिन्दी में पढ़कर अभियुक्त को सुनाया एवं समझाया गया, अभियुक्त द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोप से इन्कार किया एवं विचारण का दावा किया।

2. सूचिका सविता कुमारी के लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 21/09/10 को दिन करीब 12 बजे वह एवं साथ में रेणू कुमारी, सावित्री कुमारी, बबिता कुमारी उस पार जलावन के लिए गई थी। चन्देश्वर सिंह के पेड़ में जलावन तोड़ रही थी। वह अकेली थी उसी समय महेन्द्र यादव उसे गलत नियत से पकड़ लिया। इस पर वह जोर से हल्ला की तो उसके साथ आई लड़की जो अगल–बगल थी दौड़कर आई तो महेन्द्र यादव छोड़कर भाग गया। इसी बीच मनीष सिंह पे0 चंदो सिंह आकर उसे पकड़ लिए एवं उसकी मॉ पूरणी देवी, दादी लखिया देवी एवं चाची दयना देवी भी आ गई एवं उसे मार–पीट किए एवं चंदो सिंह के दरवाजे पर ले गए। बाद में कौशलेन्द्र यादव मुखिया आए एवं मुखिया छुड़ाकर ले गए दूसरे दिन पंचायत की बात हुई। पंचायत बैठे लेकिन वो लोग नहीं आए।

3. सूचिका के लिखित आवेदन के आधार पर थाना प्रभारी कुमारखंड के द्वारा अभियुक्त के विरूद्व मधेपुरा थाना कांड सं.–143/2010 दिनांक 23.09.2010 अन्तर्गत **धारा 341, 354 I.P.C & 3(xi) SC/ST (POA) Act** में दर्ज किया गया तथा उक्त कांड का अनुसंधान का भार स.अ.नि. ज्योति कुमार को सौंपा गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानों उपरांत मामले को सत्य पाते हुए प्रस्तुत वाद में अभियुक्त **महेन्द्र यादव** के विरूद्व **धारा 341, 354 I.P.C & 3(x) SC/ST (POA) Act** के अन्तर्गत आरोप–पत्र सं.–176/2010 दिनांक 31.12.2010 समर्पित

किया गया। प्रस्तुत सत्र वाद तत्कालीन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 10.01.2011 संज्ञान आदेश पारित किया गया तथा प्रस्तुत वाद उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक– 02.04.2011 को दौरा सुपुर्दगी के पश्चात् विचारण एवं निस्तारण हेतु दिनांक–15.04.2011 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

4. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल चार अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया हैं जो क्रमशः अभियोजन साक्षी सं.– 1. पूरनी देवी, 2. बबीता कुमारी, 3. रेणू देवी एवं 4. सावित्री कुमारी का साक्ष्य कराये हैं।

5. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के उपरांत उपरोक्त अभियुक्त का कथन दंड प्रकिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया, अभियुक्त ने साक्षियों के कथन एवं अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा सफाई में अपने को निर्दोष बताया। उसके द्वारा प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

6. अब इस विशेष न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं ?

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

7. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल छः अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया हैं जो क्रमशः अभियोजन साक्षी सं.– 1. पूरनी देवी, 2. बबीता कुमारी, 3. रेणू देवी एवं 4. सावित्री कुमारी तथा दस्तावेजी साक्षय के रूप में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया है।

8. **अभियोजन साक्षी सं0 01 पूरनी देवी है,** जिसने दिनांक–12/02/2013 को साक्ष्य के क्रम मे अपने मुख्य परीक्षण में कहा है की घटना करीब दो साल पूर्व की समय 04.00 बजे दिन का था। वह उस समय घर पर थी। लड़ाई झगड़ा हुआ महेन्द्र यादव से। महेन्द्र यादव ने सबिता कुमारी के साथ लड़ाई–झगड़ा किया था और कुछ नहीं किया था। उसे बुरी नियत से हाथ पकड़ कर ले जा रहा था। मना करने पर मारपीट किया था। बेइज्जत किया। मुदालय न्यायालय में हाजिर है, पहचानती है।

साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि इस केस में मेल–मिलाप राजी–खुशी से हो गया है। सबिता उसकी बेटी है। बच्ची है। उसके लिए भी मेल किया है। मेल आवेदन दाखिल किया है। वह हल्ला पर गई थी। दोनों पक्ष एक ही गांव के है। मेल के कारण गवाही नहीं देना चाहती है। गवाह भी गवाही नहीं देना चाहते है। थोडी बकझक हुई थी और कुछ नहीं।

9. **अभियोजन साक्षी सं0 02 बबीता कुमारी है,** जिसने दिनांक–12/02/2013 को साक्ष्य के कम मे अपने मुख्य परीक्षण में कहा है की घटना करीब दो साल पूर्व के 12 बजे दिन की है। मुदालय महेन्द्र यादव सबिता को पकड़कर बुरी नीयत से ले जा रहा था। मना करने पर मारपीट करके बेइज्जत किया। गाली–गुप्ता देकर फजीहत किया जाति के नाम पर। वह भी लकड़ी चुनने गई थी सबिता के साथ। मुदालय हाजिर है, पहचानती है।

साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि दोनों पक्षों में मेल हो गया है। एक ही गांव के है। वह हल्ला पर बाद में पहुची थी। आगे कुछ नहीं जानती। मेल राजी–खुशी से हुआ है।

10. प्रस्तुत वाद में अभियोजन **साक्षी संख्या–03 रेणू देवी एवं साक्षी संख्या–04 सावित्री कुमारी** ने अपने साक्ष्य में घटना से अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं हैं तथा पुलिस में उनका बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के अनुरोध पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। तत्पश्चात् अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा साक्षी का प्रति परीक्षण किया गया परन्तु कुछ भी ऐसा तथ्य नहीं आया हैं जिससे अभियोजन पक्ष को लाभ होता हुआ प्रतीत हों।

मंतव्य

11. अभियुक्त महेन्द्र यादव के विरूद्ध धारा **341, 354 I.P.C & 3(i)(xi) SC/ST (POA) Act** के अंतर्गत आरोप गठन दिनांक 26/05/2011 को किया गया। अभियोजन के द्वारा पूरनी देवी (P.W.-1), बबीता कुमारी (P.W.-2), रेणू देवी (P.W.-3), सावित्री कुमारी (P.W.-4) को मौखिक साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही प्रदर्श अंकित किया। विरोधी पक्ष के द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ।

13. पूरनी देवी (P.W.-1) का अभिकथन है कि घटना दो साल पूर्व समय चार बजे की है। घ ाटना के समय P.W.-1 घर में थी। P.W.-1 कहती है कि लड़ाई झगड़ा हुआ था। मंटु यादव और मेहन्द्र यादव ने सबिता कुमारी के साथ लड़ाई झगड़ा किया। P.W.-1 पुनः कहती है कि और कुछ नहीं हुआ था। सबिता कुमारी को बुरी नियत से हाथ पकड़कर ले जा रहा था। मना करने पर मारपीट किया और बेइज्जत किया। P.W.-1 न्यायालय में हाजिर मुदालय को पहचानती है। P.W.-1 प्रति परीक्षण में कहती है कि इस केस में राजी–खुशी से मेल हो गया है। पुनः P.W.-1 प्रति परीक्षपण में कहती है कि सबिता उसकी बेटी है। अभी बच्ची है उसके लिए भी उसने मेल किया है। मेल आवेदन दाखिल किया है। अभियुक्तगण परिवार लगता है। P.W.-1 .हल्ला पर घटनास्थल पर गई थी। P.W.-1 प्रतिपरीक्षण के कंडिका 5 में कहती है कि दोनों पक्ष एक ही गांव के है। अब चूंकि वाद में मेल हो गया है अतः गवाही नहीं देना चाहती। इस वाद के अन्य गवाह भी गवाही नहीं देना चाहते। P.W.-1. प्रति परीक्षण के कंडिका 6 में कहती है कि

थोड़ी बकझक हुई थी और कुछ नहीं हुआ था।

14. बबीता कुमारी (P.W.-2) का अभिकथन है कि यह घटना करीब दो साल पूर्व 12 बजे दिन की है। मुदालय महेन्द्र यादव सबिता कुमारी को पकड़कर बुरी नियत से ले जा रहा था। मना करने पर मारपीट कर बेइज्जत किया। गाली–गुप्ता भी किया। जाति के नाम पर गाली दिया। P.W.-2 बबीता कुमारी सबिता के साथ लकड़ी चुनने गई थी। P.W.-2 स्वंय स्वीकार करती है कि आज न्यायालय में हाजिर अभियुक्त को पहचानती है। P.W.-2 प्रति परीक्षण के कंडिका 3 में कहती है कि दोनों पक्षों में मेल हो गया है एक ही गांव के है। P.W.-2. हल्ला के बाद घटनास्थल पर पहुंची थी। इसके आगे वह कुछ नहीं जानती। दोनों पक्षों में राजी–खुशी मेल हो गया है।

15. रेणू देवी (P.W.-3) साक्षी के द्वारा कहा गया है कि घटना के विषय में उसे जानकारी नहीं है और न ही पुलिस में उसका बयान लिया गया था। साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया और प्रति परीक्षण की अनुमति दी गई। P.W.-3 प्रति परीक्षण की कंडिका 3 में कहती है कि मुदालय महेन्द्र यादव अदालत में हाजीर है और उसे वह पहचानती है। साक्षी पुनः अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 4 में कहती है कि वह स्वेच्छा से बयान दी है बिना किसी जोर जबरदस्ती के और पुनः कहती है कि मुदालय उसका ग्रामीण है इसलिए वह उसे में पहचानती है।

16. सावित्री कुमारी (P.W.-4) साक्षी का कहना है कि वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानती और न ही पुलिस में उसका बयान हुआ है। साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं प्रति परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई। P.W.-4 प्रति परीक्षण के कंडिका 3 में कहते है कि आज न्यायालय में अभियुक्त महेन्द्र यादव उपस्थित है जिसे वह पहचानती है। P.W.-4. प्रति परीक्षण के कंडिका 4 ,5 में कहती है कि उसने यह बयान बिना किसी जोर जबरदस्ती के स्वेच्छा से दी है एवं मुदालय लोग उसके ग्रामीण है। इसलिए इसको जानती एवं पहचानती है।

19. सावित्री कुमारी न्यायालय में अभियुक्त की पहचान की है परंतु घटना का समर्थन नहीं करती है। सावित्री कुमारी यह भी कहती है कि पुलिस के द्वारा उसका बयान नहीं लिया गया। सबिता कुमारी का बयान अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। लिखित आवेदन शंकर ऋषिदेव के द्वारा कलमजद किया गया। औपचारिक प्राथमिकी और पिड़िता सबिता कुमारी के द्वारा लिखवाया गया लिखित आवेदन प्रदर्श अंकित नहीं हुआ। अभियोजन के द्वारा लिखित आवेदन के साक्षी शंकर ऋषिदेव को न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थापित नहीं किया गया। P.W.-1 पूरनी देवी एवं P.W.-2 बबीता कुमारी अपने मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन करती है किन्तु दोनों साक्षी प्रति परीक्षण में यह कहती है कि घटना को स्वंय अपनी आंखों से नहीं देखा जब हल्ला हुआ तो वह घटनास्थल पर पहुंची। चारों साक्षियों में से कोई भी घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। जो घटना का समर्थन किया वे भी प्रति परीक्षण में कहती है कि वे हल्ला पर घटनास्थल पर

पहुंची। अतः किसी ने महेन्द्र यादव को सबिता कुमारी को बुरी नीयत से ले जाते नहीं देखा और न ही सबिता कुमारी को अभियुक्त महेन्द्र यादव से लड़ते–झगड़ते देखा। साक्षियों ने यह भी नहीं बताया कि सबिता कुमारी तथा उसकी माँ पूरनी देवी को महेन्द्र यादव के द्वारा कौन सी जाति सूचक गाली दी गई थी। साक्षी यह भी अभिकथन नहीं करती है कि अभियुक्त महेन्द्र यादव के द्वारा जाति सूचक गाली किन लोगों के सामने पब्लिक वियू में दी गई। अभियोजन के द्वारा इस वाद के अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 ज्योति कुमार थानाध्यक्ष कुमारखंड को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी परिस्थिति में अभियोजन न्यायालय में घटनास्थल को साबित करने में असफल रहा। अभियोजन के द्वारा अनुसंधानकर्ता ज्योति कुमार को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे घटनास्थल साबित नहीं हो सका और ना ही आरोप पत्र प्रर्दश अंकित हो पाया। अभिलेख के परीशीलन से यह भी प्रतीत होता है कि पक्षकार आपस में ग्रामीण हैऔर आपस में सुलह कर लिया है। सबिता कुमारी के अलावा अन्य पिड़िता लखिया देवी एवं बानो देवी को भी मारपीट करने की बात प्राथमिकी में दर्ज है। परंतु अभियोजन के द्वारा पिड़िता लखिया देवी एवं बानो देवी को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्राथमिकी में यह भी आया है कि मनीष सिंह पे0 चांदो सिंह घटनास्थल पर आया और सूचिका की माँ पूरनी देवी, दादी लखीया देवी और बानों देवी को अभियुक्त से बचाये। अभियोजन मनीष सिंह को न्यायालय में साक्ष्य हेतु नहीं प्रस्तुत किया गया। पिड़िता सबिता कुमारी का प्राथमिकी में कहना है कि घटना के बाद वे चांदो सिंह के दरवाजे पर गई और बाद में उसी स्थान पर कौशेलेन्द्र यादव मुखिया आये। मुखिया ने अगले दिन पंचायत किया और बैठा तो अभियुक्त लोग नहीं आये। पुनः अभियोजन के द्वारा चक्षुदर्शी साक्षी चांदों सिंह एवं कौशेलेन्द्र यादव मुखिया को न्यायालय में साक्ष्य हेतु नहीं प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि अभियोजन अपने वाद को साबित करने असफल रहा।

आदेश

20. एतद्, मैं अभियुक्त **महेन्द्र यादव** के विरूद्व **धारा 341, 354 I.P.C & 3(xi) SC/ST (POA) Act** के आरोप से साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त करता हूँ। दोषमुक्त अभियुक्त का बंधपत्र निरस्त करते हुए उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता हैं। इस वाद में न्यायालय के द्वारा जारी सभी आदेशिकाओं तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। कार्यालय निष्पादित अभिलेख को ससमय अभिलेखागार में जमा करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लेखापित, संशोधित एवं उद्घोषित किया गया।

(संजीव कुमार–II)
जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
मधेपुरा, दिनांक –23.06.2026

(संजीव कुमार–II)
जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
मधेपुरा, दिनांक –23-06-2026